प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.05.2021 जनपद देवरिया।

थाना महुआडीह पुलिस द्वारा मार–पीट एवं हत्या के प्रयास में 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अवैध पिस्टल एवं कारतूस बरामद।

दिनांक 18.05.2021 को थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नेरूई अमवां में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मन्नु सिंह के साथ उसी गांव के प्रधान प्रत्याशी तरूण शर्मा, दीनानाथ शर्मा आदि द्वारा चुनावी रंजिश के कारण मार–पीट करते हुए गोली मार दी गयी। जिनका ईलाज जनपद लखनऊ में चल रहा है। जिसके संबन्ध में थाना महुआडीह पर वादी भगत सिंह पुत्र रमायन सिंह निवासी–नेरूई अमवां थाना–महुआडीह जनपद–देवरिया की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–54/2021 धारा–147,148,149,307,323,325,504,506 भादंसं का अभियोग अभियुक्तगण तरूण शर्मा पुत्र दीनानाथ शर्मा, दीनानाथ शर्मा पुत्र छेदी शर्मा सहित कुल 09 नफर निवासीगण–नेरूई अमवा थाना–महुआडीह जनपद–देवरिया के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में दिनांक 22.05.2021 को थानाध्यक्ष महुआडीह मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर करज तिराहा ग्राम रामपुर गौनरिया के पास से उक्त अभियोग में नामजद मुख्य अभियुक्तगण तरूण शर्मा पुत्र दीनानाथ शर्मा, दीनानाथ शर्मा पुत्र छेदी शर्मा, अरूण शर्मा उर्फ अजय पुत्र दिनानाथ शर्मा, हरिश्चन्द्र गौंड़ पुत्र विनोद गौंड़ निवासीगण–नेरूई अमवा थाना–महुआडीह जनपद–देवरिया को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त तरूण शर्मा उपरोक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।